

# कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(जिला विकास शाखा)

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) अन्तर्गत पूर्व में की गयी नियुक्ति के विरुद्ध रिक्त पदों पर बैक-लॉग के आधार पर नियुक्ति संबंधी सूचना।


## जिला स्तर पर

क्र०	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रशिक्षण समन्वयक	अनारक्षित- 1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क/PGDM/Post Graduate/MBA in Rural Management में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित- 1	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

## प्रखण्ड स्तर पर

क्र०	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	अनारक्षित- 04	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
		अनु०जाति- 05	
		अनु०जनजाति- 02	
		अत्यंत पिछड़ा वर्ग(BC-I)- 02	
		पिछड़ा वर्ग(BC-II)- 01	
		कुल - 14	
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित- 06	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
		अनु०जाति- 05	
		अनु०जनजाति- 02	
		अत्यंत पिछड़ा वर्ग(BC-I)- 02	
		पिछड़ा वर्ग(BC-II)- 01	
		कुल - 16	

आवेदकों को Online विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.iharkhand.gov.in> पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक 20.12.2017 से 05.01.2018 तक भरा जायेगा।

  
22/12/17  
उपायुक्त, पलामू।

## विज्ञापन प्रारूप

1. पद का नाम :-

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण समन्वयक/  
लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रखण्ड समन्वयक/ लेखापाल-सह-  
कम्प्यूटर ऑपरेटर।

2. पदों की संख्या (रोस्टर के आधार पर कोटिवार रक्तियों की संख्या) :-

क्र०	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति					मासिक मानदेय
			अनारक्षित	अ०जा०	अ०ज०जा०	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
1	प्रशिक्षण समन्वयक (जिला स्तरीय)	01	01	00	00	00	00	35000/-
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (जिला स्तरीय)	01	01	00	00	00	00	15000/-
3	प्रखण्ड समन्वयक (प्रखण्ड स्तरीय)	14	04	05	02	02	01	18000/-
4	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तरीय)	16	06	05	02	02	01	10000/-

3. शैक्षणिक योग्यता :-

प्रशिक्षण समन्वयक :-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क/PGDM/Post Graduate/MBA in Rural Management में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।

लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर :-  
(जिला स्तरीय)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड समन्वयक :-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।

लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर :-  
(प्रखण्ड स्तरीय)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

4. अनुभव :-

क्रमांक 3 में पदवार अंकित है।


5. आयु सीमा (आरक्षित वर्गों के लिए उम्र सीमा में छूट के साथ) :-

सामान्य श्रेणी के लिए- 35 वर्ष/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए- 37 वर्ष/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए- 40 वर्ष।

6. आवेदन शुल्क :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
<b>जिला स्तर</b>			
1	प्रशिक्षण समन्वयक	500/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	200/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		150/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
<b>प्रखण्ड स्तर</b>			
1	प्रखण्ड समन्वयक	400/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		200/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	150/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		100/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए

7. आवेदन प्राप्त करने की तिथि (दिनांक 20.12.2017 से दिनांक 05.01.2018तक) :-

  
 20/12/17  
 नियोजक का हस्ताक्षर  
 उपायुक्त, पलामू।

नोट :-

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 1016 दिनांक 01.03.2017 एवं विज्ञापन से संबंधित सूचना संलग्न है।

**झारखण्ड सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**  
**अधिसूचना**

अधि० संख्या- 1016(अड्ड) ग्रा0वि0-10-PMAY-G-54/2016,

राँची, दिनांक 01-03-17

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए प्राप्त 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु कर्माधिकारी राशि से जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर निम्न कर्मियों को मासिक मानदेय पर रखने की स्वीकृति दी जाती है :-

जिला स्तर पर :-

क0	पद का नाम	संख्या	मासिक मानदेय
1	2	3	4
1	जिला समन्वयक	24 (एक प्रति जिला)	35000/-
2	प्रशिक्षण समन्वयक	24 (एक प्रति जिला)	35000/-
3	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	24 (एक प्रति जिला)	15000/-

प्रखण्ड स्तर पर :-

क0	पद का नाम	संख्या	मासिक मानदेय
1	2	3	4
1	प्रखण्ड समन्वयक	263 (एक प्रति प्रखण्ड)	18000/-
2	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	263 (एक प्रति प्रखण्ड)	10000/-

2. उपर्युक्त पदों पर सभी नियुक्तियाँ जिला स्तर पर होगी। सभी नियुक्तियों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5776 दिनांक-10.10.2002 तथा संकल्प संख्या-2020 दिनांक-09.04.2010 द्वारा निर्गत कोटिवार एवं जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण देय होगा। जिलावार रोस्टर के अनुसार आरक्षण तालिका, संबंधित जिला के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित जिलावार रोस्टर की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित संकल्प परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2 तथा परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। परिशिष्ट-1 पर रक्षित जिलावार रोस्टर तालिका में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5776 दिनांक-10.10.2002 के आलोक में महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी देय होगा। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016 (परिशिष्ट '4') प्रभावी मानी जाएगी। उपर्युक्त पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

3. शैक्षणिक योग्यता :

जिला स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :-

क्र. सं.	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा*	शैक्षणिक योग्यता
1.	जिला समन्वयक	35000/-	22-45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2.	प्रशिक्षण समन्वयक	35000/-	22-45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
3.	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	15000/-	18-30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

**प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :-**

क्र. सं.	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा*	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्रखण्ड समन्वयक	18000/-	22-45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2.	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	10000/-	18-30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

उम्र सीमा\* :- उम्र की गणना 01.01.2017 के आधार पर की जाएगी।

**4. नियुक्ति प्रक्रिया :-**

I) जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. उपायुक्त-  | - अध्यक्ष         |
| 2. उप विकास आयुक्त-   | - सदस्य           |
| 3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0-   | - सदस्य-सह-संयोजक |
| 4. जिला सूचना पदाधिकारी   | - सदस्य           |
| 5. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित (उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी) | - सदस्य           |

उपर्युक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे तथा दक्षता परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ रखे जायेंगे।

II) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्ताकों पर आधारित होगा।

**5. मेधा सूची :-**

- I. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।
- II. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- III. दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।
- IV. अंतिम मेधा सूची में प्रदत्त रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- V. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में बड़ीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. मूल्यांकन :-

I. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कंप्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

उक्त अंकित अंकों की गणना हेतु तालिका परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।

II. कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

7. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

I. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर अंतिम निर्धारित तिथि तक समर्पित करना होगा।

II. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

III. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत् होगा :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
<b>जिला स्तर</b>			
1.	जिला समन्वयक	500/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2.	प्रशिक्षण समन्वयक	500/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
3.	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	200/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		150/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
<b>प्रखण्ड स्तर</b>			
1.	प्रखण्ड समन्वयक	400/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		200/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2.	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	150/-	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		100/-	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए

IV. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

V. आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

VI. जिला-स्तरीय पद के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन सभी जिलों में अलग-अलग प्रकाशित किया जाएगा परन्तु सभी जिलों से आवेदन विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत् होगी :-

- (i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।
- (ii) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलिखि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलिखि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मि को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
- (v) कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
- (vi) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
- (vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मि को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
- (viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
- (ix) नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

अनु: शरीर

ज्ञापांक:- 1016 / ग्रा0वि0-10-PMAY-G-54/2016,

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक:- 1016 / ग्रा0वि0-10-PMAY-G-54/2016,

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Deho  
28/2/17  
(एन० एन० सिन्हा)  
सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक:- 01-03-17

Deho  
28/2/17  
सरकार के प्रधान सचिव

राँची, दिनांक:- 01-03-17

Deho  
28/2/17  
सरकार के प्रधान सचिव